

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष), बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार बिहार
वीरचन्द्र पटेल, पथ
बिहार, पटना।

विषय:-

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, त्रिवेणीगंज, सुपौल के लिए श्री बिन्देश्वरी यादव (पुत्र डा० सुशील कुमार के स्थान पर), डपरखा (ललित ना० मिश्रा विज्ञान महाविद्यालय के सामने) त्रिवेणीगंज, सुपौल, बिहार के मकान को प्राचार्य द्वारा भवन हस्तगत करने की तिथि से अगले आदेश (एग्रीमेंट अवधि तक) अथवा सरकारी भवन उपलब्ध होने तक (दोनों में जो पहले घटित हो) निर्धारित समुचित कुल रूपया 21,543/- (इक्कीस हजार पाँच सौ तैंतालीस) मात्र मासिक किराये पर रखने की स्वीकृति।

आदेश:-

स्वीकृत।

2. मंत्रिमंडल सचिवालय (प्रशासनिक सुधार शाखा) के संकल्प संख्या 4761 दिनांक 28.10.1971 के साथ पटि संकल्प संख्या 62 (प्र० सु०) दिनांक 09.09.1974 द्वारा विभागीय/विभागाध्यक्षों को प्रायोजित शक्तियों के अनुसार स्वीकृत्यादे आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जाता है।

3. यह व्यय आय-व्यय शीर्ष मुख्य शीर्ष-2230 श्रम, रोजगार और कौशल विकास, उपमुख्य शीर्ष-03-प्रशिक्षण लघु शीर्ष 003-शिल्पकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण उपशीर्ष 0118-नया औ० प्र० संस्थान की स्थापना, विषय शीर्ष 0118.1 01 किराया महसूल एवं कर विपत्र कोड-26-2230030030118 के अन्तर्गत संबंधित वित्तीय वर्ष में उपबंधित राशि से विकलनी होगा।

4. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, त्रिवेणीगंज, सुपौल होंगे।

5. राशि की निकासी उप कोषागार, त्रिवेणीगंज, सुपौल से की जायेगी।

6. प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं० टी-3/भवन किराया-03/2019

पृष्ठ-18/टि० पर प्राप्त है।

7. प्रस्ताव में विभागीय अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

Suryakantmani
121220
उप सचिव

श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- टी-3/भवन किराया-03/2019-...../पटना, दिनांक- - -2020.

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, त्रिवेणीगंज, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Suryakantmani
121220
उप सचिव

श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- टी-3/भवन किराया-03/2019-...../पटना, दिनांक- - -2020.

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग (आय व्यय शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ।

Suryakantmani
121220
उप सचिव

श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- टी-3/भवन किराया-03/2019-...../पटना, दिनांक- - -2020.

प्रतिलिपि:- प्राचार्य, औ० प्र० संस्थान, त्रिवेणीगंज, सुपौल/ बिन्देश्वरी यादव (पुत्र डा० सुशील कुमार के स्थान पर), डपरखा (ललित ना० मिश्रा विज्ञान महाविद्यालय के सामने) त्रिवेणीगंज, सुपौल/निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. उपर्युक्त स्वीकृत्यादेश के आधार पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, बजट उपबंध रहने पर मकान किराये का भुगतान करते रहेंगे। इसके लिए प्रतिवर्ष स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है, परन्तु भुगतान करने के पूर्व कार्यपाल अभियन्ता, भवन निर्माण विभाग से भवन अनुपलब्धता का प्रमाण पत्र प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरम्भ में प्राप्त कर लेना होगा, बिहार वित्त नियमावली खण्ड-2 के परिशिष्ट-5 के अनुबंध 'क' के मद में संख्या 33 के प्रावधानों के अनुसार प्रति वर्ष प्रथम भू के साथ संलग्न किया जायेगा।

3. किराये में वृद्धि एवं भवन परिवर्तन के हालत में किराये की स्वीकृति में पुनः सरकार का आदेश प्राप्त कर अनिवार्य होगा।

Suryakantmani
121220
उप सचिव

श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- टी-3/भवन किराया-03/2019-...../पटना, दिनांक- 12-02-2020.

प्रतिलिपि:- बजट शाखा/मासिक व्यय निकासी शाखा/भवन शाखा, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष), बिहार, पटना/आई० टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Suryakantmani
12122020
उप सचिव

श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना।